मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर
(574, साउथ सिविल लाईन्स)

//आदेश//

क्रमांक फा.नं. 34/स्था./राविसेप्रा 5069/2024 जबलपुर, दिनांक 22/10/2024

मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा रोजगार और निर्माण, समाचार पत्र में दिनांक 5.2.2024 से 11.2.2024 को जारी विज्ञप्ति के अनुसार ली गई साक्षात्कार परीक्षा में आदेश तामीलकर्ता के पद पर चयनित प्रतिक्षा सूची (सारिणी अनुसार) अभ्यर्थियों को सातवें वेतनमान के अनुसार वेतनमान 15500–49000/– एव समय–समय पर देय भत्तों सहित तीन वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर निम्नांकित शर्तो के अधीन अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त तक उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने की दिनांक से सारिणी के कालम नं. 05 में उल्लेखित पदस्थापना में नियुक्त किया जाता है।

परिवीक्षा अवधि में सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक सी–3–13/2019/3/ एक, दिनांक 12 दिसम्बर 2019 के अधीन भृत्य वेतनमान 15500–49000 के न्यूनतम का प्रथम वर्ष 70 प्रतिशत, द्वितीय वर्ष में 80 प्रतिशत एवं तृतीय वर्ष में 90 प्रतिशत राशि स्टायपेंड के रूप में देय होगा।

सारिणी

क्र	रोल नं.	अभ्यर्थी का नाम पिता/पति का नाम	पता	पदस्थापना स्थान
1	2	3	4	5
1	2403	श्रीमती हर्ष वंदना द्विवेदी पिता श्री हरप्रसाद पाण्डेय पति स्व. श्री अश्विनी कुमार द्विवेदी	निवासी जी–9 द्वारका ब्लॉक,6वी बटालियन, एस.ए.एफ रांझी तहसील रांझी, जबलपुर (मध्यप्रदेश)	जिला विधिक सेवा प्राधिकरण राजगढ़
2	990	श्री अर्जुन ठाकुर, पिता श्री हरिसिंह ठाकुर	ग्राम बरखेडी पोस्ट खारवा थाना पंधाना, तहसील पंधाना, जिला–खण्डवा (म.प्र.)	जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, उज्जैन

अभ्यर्थीगण को पदभार ग्रहण करने की अन्तिम तिथि दिनांक 08/11/2024 दी जा रही है । वे उक्त तिथि या इसके पूर्व सारिणी के कालम नं. 05 में उल्लेखित पदस्थापना में पदभार ग्रहण करेगें।

शर्तेः–

1– यह कि वे शपथ लें कि विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति श्रद्धा व सच्ची निष्ठा रखेंगे।

2– नियुक्त कर्मचारी राज्य/उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति/जिला प्राधिकरण के प्रति पूर्णरूप से सनिष्ठ एवं कर्तव्य परायण रहेगा/रहेगी।

3– यह कि, यह नियुक्ति आदेश चरित्र सत्यापन के प्रत्याशा में जारी किये जा रहे है, यदि चरित्र सत्यापन के रिपोर्ट में आप शासकीय सेवा के लिए अयोग्य पाये जाते है तो आपकी नियुक्ति तत्काल प्रभाव से समाप्त की जावेगी।

4– यह कि उन्हें मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल के परिपत्र क्रमांक एफ–9/3/2003/नियम/चार भोपाल दिनांक 13/4/2005 के अनुसार दिनांक 1/1/2005 के पश्चात् नियुक्त होने वाले कर्मचारियों पर परिभाषित पेंशन अंशदान योजना 2005 लागू होगी।

5– यह कि चयनित अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करने के 15 दिवस के अन्दर स्वयं के व्यय पर जिला मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी स्वस्थ्यता परीक्षण का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। जिला मेडिकल बोर्ड द्वारा प्रदत्त शारीरिक एवं मानसिक स्वस्थ्यता का प्रमाण पत्र प्रतिकूल होने की दशा में नियुक्ति आदेश स्वमेव निरस्त माना जावेगा।

6— अन्य विभाग में शासकीय पदों से सम्बन्धित परीक्षा में बैठने की अनुमति के लिये आवेदन देने के पूर्व राज्य प्राधिकरण की अनुमति लेना आवश्यक होगा। चयनित अभ्यर्थी बिना पूर्वानुमति के कोई अग्रिम शैक्षणिक अध्ययन नियमित या स्वाध्यायी छात्र के रूप में नहीं करेंगे और न ही उससे संबंधित किसी परीक्षा में सम्मिलित होगें। बिना अनुमति के सीधे आवेदन पत्र भेजे जाने पर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी।

7— यह कि आवेदन पत्र के साथ संलग्न प्रमाण पत्रों के तथ्यों को छिपाये जाने, कूटरचित या फर्जी पाये जाने या अन्य किसी कारण से गलत पाये जाने पर नियुक्ति स्वमेव निरस्त मानी जावेगी।

8— यह कि उनकी सेवायें राज्य प्राधिकरण के द्वारा बिना किसी पूर्व सूचना के किसी भी समय बिना कारण बताये समाप्त की जा सकेगी और वे यदि सेवा से पृथक होना चाहेंगे तो उन्हें एक माह पूर्व सूचना देनी होगी अथवा सूचना के अभाव में एक माह के वेतन भत्तों के बराबर राशि नगद जमा करनी होगी ।

9— यह कि, आरक्षित पदों पर नियुक्त अभ्यर्थी जिन्हें उनके द्वारा जाति संबंधी प्रस्तुत प्रमाण पत्र के आधार पर नियुक्ति प्रदान की गई है, उसका सत्यापन कराया जावेगा। यदि सत्यापन उपरान्त प्रमाण पत्र फर्जी या कूट रचित पाये गये अथवा यह पाया गया कि उक्त प्रमाण पत्र के आधार पर उन्हें वर्ग विशेष के लिए आरक्षित पद पर नियुक्ति पाने का अधिकार नहीं था तो नियुक्ति स्वमेव निरस्त मानी जावेगी।

10— यह कि चयनित अभ्यर्थी द्वारा नियुक्ति आदेश प्राप्त होने के उपरान्त **दिनांक 08/11/2024** तक अथवा राज्य प्राधिकरण द्वारा बढ़ाई गई तिथि तक आवश्यक रूप से पदस्थापना कार्यालय में उपस्थित होकर कार्यभार ग्रहण करना होगा। नियत समय सीमा के अंदर कार्यभार ग्रहण न करने की दशा में नियुक्ति स्वयमेव निरस्त मानी जावेगी।

11— अभ्यर्थी को लिखित रूप में अभिस्वीकृति देनी पड़ेगी कि उसे उपर्युक्त सभी शर्ते मान्य हैं और भविष्य में समय—समय पर जो भी संशोधन अथवा परिवर्तन होंगे वे भी उसे मान्य होंगे। अभ्यर्थी से इन सभी शर्तो की लिखित स्वीकृति जो दो साक्षियों के द्वारा अनुप्रमाणित हो प्राप्त होने पर ही नियुक्ति आदेश प्रभावशील माना जावेगा।

13— इन नियुक्तियों के लिये म.प्र. लोक सेवा (अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम 1994 व उसके तहत राज्य शासन द्वारा उपबन्धों का अनुपालन किया गया है ।

14— नियुक्त कर्मचारी पर मध्यप्रदेश राज्य शासन एवं राज्य प्राधिकरण के नियम एवं समय—समय पर प्रसारित निर्देश/आदेश लागू होगें।

22-10-2024

(रतीश चंद्र सिंह बिसेन)
सदस्य—सचिव

पृ.क. फा.नं. 34/स्था0/राविसेप्रा/1069/2024 जबलपुर, दिनांक 22/10/2024

प्रतिलिपिः—

1. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग भोपाल की ओर सूचनार्थ।
2. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी (द्वितीय) मध्यप्रदेश, ग्वालियर की ओर सूचनार्थ।
3. प्रधान जिला न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण राजगढ़/उज्जैन की ओर प्रेषित कर अनुरोध है कि नव नियुक्त कर्मचारी की उपस्थिति की जानकारी भिजवाये जाने एवं मेडीकल चेकअप कराये जाने के उपरांत संबंधित कर्मचारी की सेवा पुस्तिका तैयार कराया जाकर समस्त औपचारिकताओं की पूर्ति किये जाने के बाद सेवा पुस्तिका राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण को भिजवाये जाने हेतु संबंधित अधिकारी को निर्देशित किये जाने का कष्ट करें।
4. सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण राजगढ़/उज्जैन ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

5. कोषालय अधिकारी,जिला कोषालय जबलपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
6. लेखाधिकारी, मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
7. उपस्थिति/वेतन लिपिक, मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
8. श्रीमती हर्ष वंदना द्विवेदी पिता श्री हरप्रसाद पाण्डेय पति स्व. श्री अश्विनी कुमार द्विवेदी, निवासी जी–9 द्वारका ब्लॉक,6वी बटालियन, एस.ए.एफ रांझी तहसील रांझी, जबलपुर (मध्यप्रदेश)
9. श्री अर्जुन ठाकुर, पिता श्री हरिसिंह ठाकुर, ग्राम बरखेडी पोस्ट खारवा थाना पंधाना, तहसील पंधाना, जिला–खण्डवा (म.प्र.)
10. आई.टी.असिस्टेंट,मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर वैबसाइट में अपलोड किये जाने की कार्यवाही हेतु।
11. कार्यालय प्रति।

(डॉ.सुधांशु सक्सेना)
अतिरिक्त सचिव